



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052026-272777
CG-DL-E-21052026-272777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2506]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2026/वैशाख 31, 1948

No. 2506]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2026/VAISAKHA 31, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

का.आ. 2598(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जयंत सरजेराव घाटगे, वरिष्ठ कृषि अभियंता, केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (मध्य प्रदेश) को एतद्वारा संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 313 (अ), तारीख 5 जून, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी के, स्तंभ (1) में, "श्री अनिल कुमार उपाध्याय" शब्दों के स्थान पर "श्री जयंत सरजेराव घाटगे" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9-2/2023-एम एंड टी (प्रशासन)]

एस. रुक्मणी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2026

S.O. 2598(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri Jayant Sarjerao Ghatge, Senior Agricultural Engineer, Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Madhya Pradesh) as Estate Officer and for that purpose, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare number GSR, 313 (E), dated the 5th June, 2024, namely:-

In the said notification in the Table, in column (1), for the words “Shri Anil Kumar Upadhyay” the words “Shri Jayant Sarjerao Ghatge” shall be substituted.

[F. No. 9-2/2023-M&T(Admn)]

S. RUKMANI, Jt. Secy.